



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 304/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 04 मार्च, 2024

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल (Geography) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मा0 आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र0स0 (1)	अनुक्रमांक (2)	कार्यालय टीप (3)
1.	504593	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
2.	504660	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
3.	504968	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
4.	505248	<ol style="list-style-type: none">अभ्यर्थी को GEOGRAPHY विषय में GEN श्रेणी का कट ऑफ में स्थान धारित न करने एवं Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया था।अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के सापेक्ष टीचिंग अनुभव श्रेणी के लिए निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे :-<ol style="list-style-type: none">ICSSR POST DOCTORAL FELLOWSHIP FOR THE YEAR 2018-19 का प्रमाण पत्र जो पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। जिसका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में कर लिया गया है।DBS P.G COLLEGE DEHRADUN का प्रमाण पत्र PDF FELLOWSHIP 01-01-2019 TO 01-01-2021 का प्रमाण पत्र डी0बी0एस0 कालेज देहरादून का प्रमाण पत्र। जिसका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में कर लिया गया है।दून विश्वविद्यालय में दिनांक 03 अगस्त, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि के बाद का है। जो अनुमान्य नहीं है।अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के संबंध में International scientist awards on engineering science and medicine द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2021 को दिया गया best researcher award का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका परीक्षण पूर्व में

		<p>विषय-विशेषज्ञों द्वारा कर लिया गया है।</p> <p>5. तदक्रम में Ph.D के लिए परिशिष्ट-3 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण एवं GEOGRAPHY विषय में GEN श्रेणी का कट ऑफ में स्थान धारित न करने मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
5.	505356	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
6.	505445	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
7.	505508	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
8.	505613	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
9.	505625	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी को टीचिंग अनुभव श्रेणी में 10 अंक के स्थान पर 8.32 तथा अवार्ड श्रेणी में 03 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये के कारण GEOGRAPHY विषय में GEN श्रेणी की कट-ऑफ में स्थान धारित न करने, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया था। 2. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 01.12.2023 के बाद दिनांक 05.12.2023 को प्रत्यावेदन के साथ पी0एच0डी0 उपाधि प्रस्तुत की गयी है। 3. अभ्यर्थी द्वारा GEOGRAPHY विषय में GEN श्रेणी की कट ऑफ में स्थान धारित न करने, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। 4. तदक्रम में प्रत्यावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 के पश्चात् बाद प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के कारण एवं GEOGRAPHY विषय में GEN श्रेणी की कट ऑफ में स्थान धारित न करने, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
10.	505798	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
11.	505983	1. अभ्यर्थी को अवार्ड श्रेणी में 03 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, Ph.D की उपाधि दिनांक 30.12.2021 को धारित की गयी है तथा उपाधि जारी होने की तिथि 03.01.2022 है, जबकि विज्ञापन के अनुसार अर्हताएं दिनांक

		<p>24.12.2021 तक पूर्ण होना चाहिए। तदक्रम में Ph.D के 25 अंक अनुमन्य नहीं किये जाने के कारण GEOGRAPHY विषय में OBC श्रेणी की कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के साथ अधिमानी अर्हता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है। अनर्हता सूची के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>3. तदक्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तानुसार निर्धारित तिथि 24.12.2021 तक पी0एच0डी0 की उपाधि धारित न करने के कारण तथा Geography विषय में ओ0बी0सी0 श्रेणी की कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
12.	506025	<p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
13.	520460	<p>1. दिव्यांगजन श्रेणी में विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं स्नातक, परास्नातक उपाधि, विभागीय अनापत्ति प्रमाण, Ph.D के लिए परिशिष्ट-4 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में ओ0एल0 (OL) श्रेणी का प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा निर्गत प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनर्हता सूची के क्रम में अभ्यर्थी से ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था।</p> <p>3. तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन की ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
14.	520461	<p>उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 01 दिसम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
15.	520463	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन की ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया था।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची के सापेक्ष दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ विज्ञापन के परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन हेतु निर्धारित प्रारूप में ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>3. तदक्रम में अभ्यर्थी को दिव्यांगजन की ओ0ए0 (OA) श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण एवं EWS श्रेणी की मूल श्रेणी की कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>

-Sd/
(अवधेश कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव।